

(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ : Deputy Commissioner (Zone 01)

चालान संख्या 764657

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता संख्या ICICI-675401700500

दिनांक 09/03/2022 Valid upto 08/04/2022

सर्विस नं. 1069001083

जमाकर्ता/आवेदनकर्ता का नाम PINKI MATHUR, MEGHNA MATHUR, MANSI MATHUR & MUDITA MATHUR

सेक्टर F भूखण्ड सं 140 (Residential)

योजना का नाम C SCHEME

समिति/विकासकर्ता JDA

जोन सं. ZONE-01

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020341	Building Construction Application Fee	200.00
1020337	Examination Fees	10347.00
1020303	Map Release Fees	138370.00
1010106	BSUP (Shelter) Fund - Regularization	27674.00
1010306	Malva Deposit	10000.00
1030371	Security Deposit (Rain Water Harvesting)	75000.00
1010401	Development Charges	300000.00
कुल योग (अंकों में)		561591.00

Amount (Rs.)=5,61,591.00

Name of Bank ICICI BANK LTD (valid upto 08/04/2022)
PUNJAB NATIONAL BANK
JDA CAMPUS, JAIPUR

Payment Mode Cheque No. 784172 Date 21/02/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का समाप्त हो जाने वाली राशि पर देय राशि बैंक से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि चालान जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पयोप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 764657

Contact No. 7791919911

हस्ताक्षर जमाकर्ता



**Mishra Garg
& Associates**
ARCHITECTS & PLANNERS

C-35, Lajpat Marg, C-Scheme, Jaipur
Ph.: +91-141-237-3274, 5104986
E-mail : mishra.garg@gmail.com

प्रपत्र-4

आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

(नगर नियोजन विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन
विनियम-2020 के अंतर्गत पंजीकृत
वातुविद के Letter Head पर जारी किया जाना है)

पत्र क्रमांक:

दिनांक : 16-03-2022

श्री Smt. Pinki Mathur, Smt. Meghna Mathur, Smt. Mansi Mathur, Smt. Mudita Mathur

पता:- Plot No. F-140, Azad Marg, C-Scheme, Jaipur ।

विषय: भूखण्ड संख्या F-140 जो योजना Azad Marg, C-Scheme, Jaipur के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या F-140 जो योजना Azad Marg, C-Scheme, Jaipur के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले'-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप हैं। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही हैं। प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-

- i भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल 689.80 वर्गमीटर
- ii प्रस्तावित भवन का प्रयोजन आवासीय
- iii भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकारी (पट्टे के अनुसार) -

क्र.सं.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबैक (मी)		
	(अ) सामने		6.10
	(ब) पार्श्व प्रथम		6.10
	(स) पार्श्व द्वितीय		3.77
	(द) पीछे		3.77
2.	अच्छादित क्षेत्र		261.92 SQ.MTR. (37.97%)
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या		18.00 MTR. Stilt + 6 Floors
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		2767.39 SQ.MTR.
5.	बी.ए.आर. क्षेत्रफल		2454.96 SQ.MTR.
6.	पार्किंग		
	(अ) भू-तल		4 Cars + 2 Scooters
	(ब) बैसमेन्ट		
	(स) स्टिल्ट		13 Cars + 14 Scooters

V. फ्लोर एरिया का विवरण :-

(अ) बैसमेन्ट		259.71 SQ.MTR.
(ब) स्टिल्ट/भू-तल		261.92 SQ.MTR.
(स) प्रथम मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(द) द्वितीय मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(स) तृतीय मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(स) मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(स) मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(स) मंजिल		367.93 SQ.MTR.
(स)		38.18 SQ.MTR.
		2767.39 SQ.MTR.

2. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका जयपुर (शहर का नाम) की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध हैं।
3. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
4. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
5. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/ स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं हैं।
6. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
7. आवेदक एवं मेरे प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन

बाबत् विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली संपूर्ण राशि को चालान संख्या द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के F-140, Azad Marg, C-Scheme, Jaipur (आवासीय /कॉमर्शियल/ औद्योगिक/संस्थानिक)प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न :


आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर
ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

मैं ऊपर वर्णित आर्किटेक्ट आज दिनांक को (शहर का नाम)में प्रमाणित करता/ करती हूं कि ऊपर शपथ पत्र में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है तथा इनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

संलग्न:अनुमोदित
मानचित्र
(संख्या....2.....)


आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

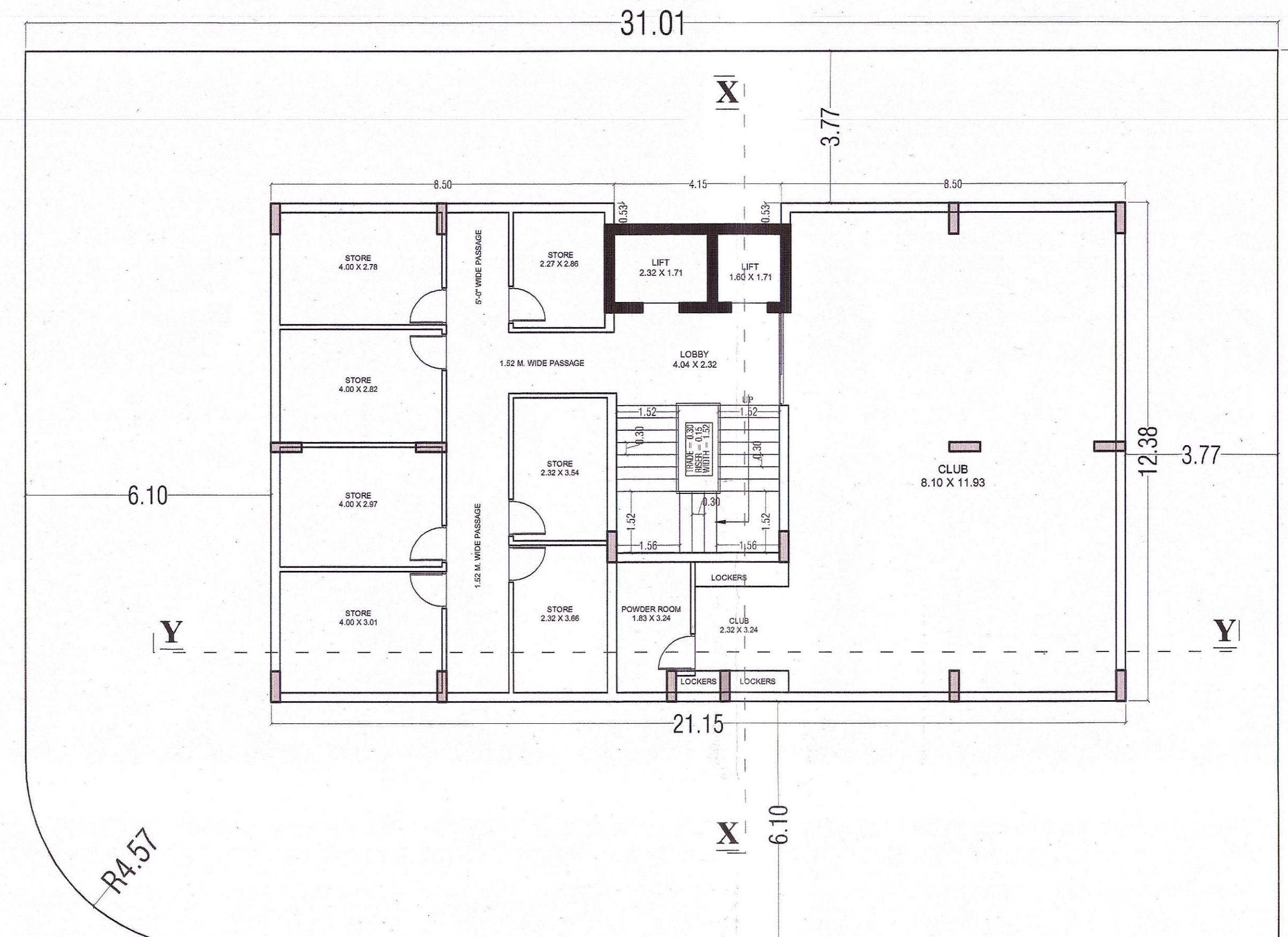
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

सचिव/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, स्थानीय निकाय ।


आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

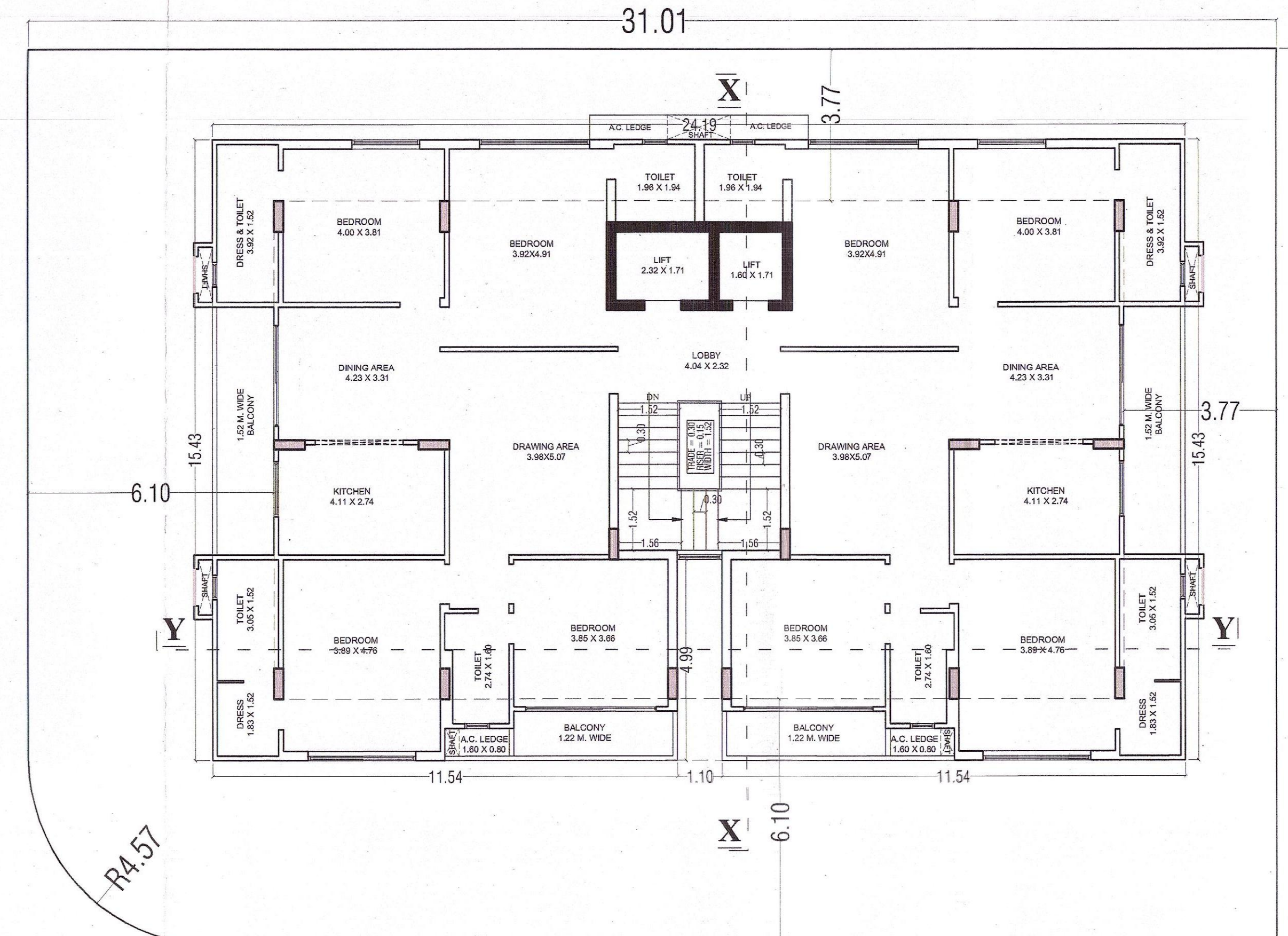
AZAD MARG



BASEMENT FLOOR PLAN

GAUTAM MARG

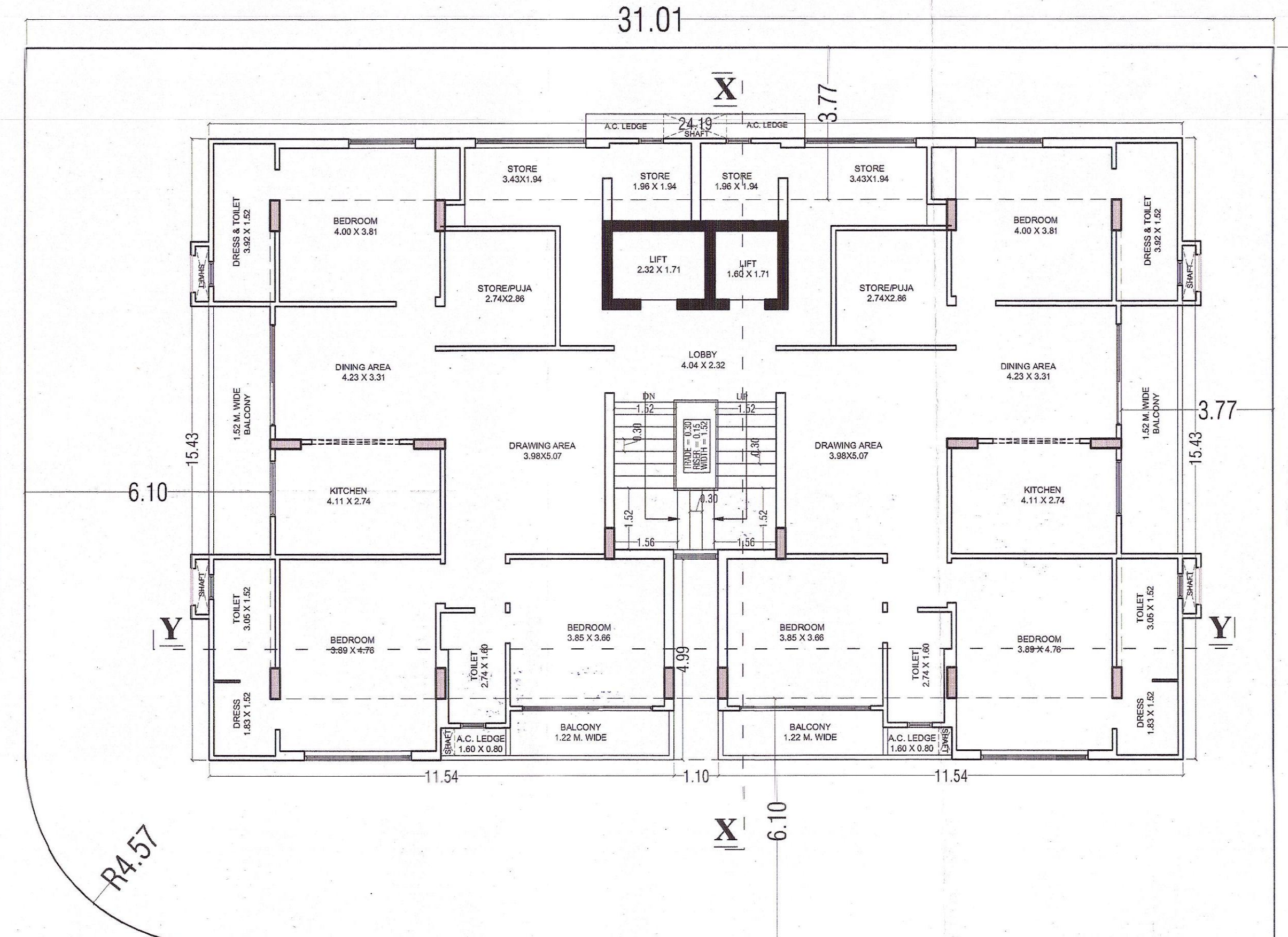
AZAD MARG



TYPICAL (1st - 4th & 6th) FLOOR PLAN

GAUTAM MARG

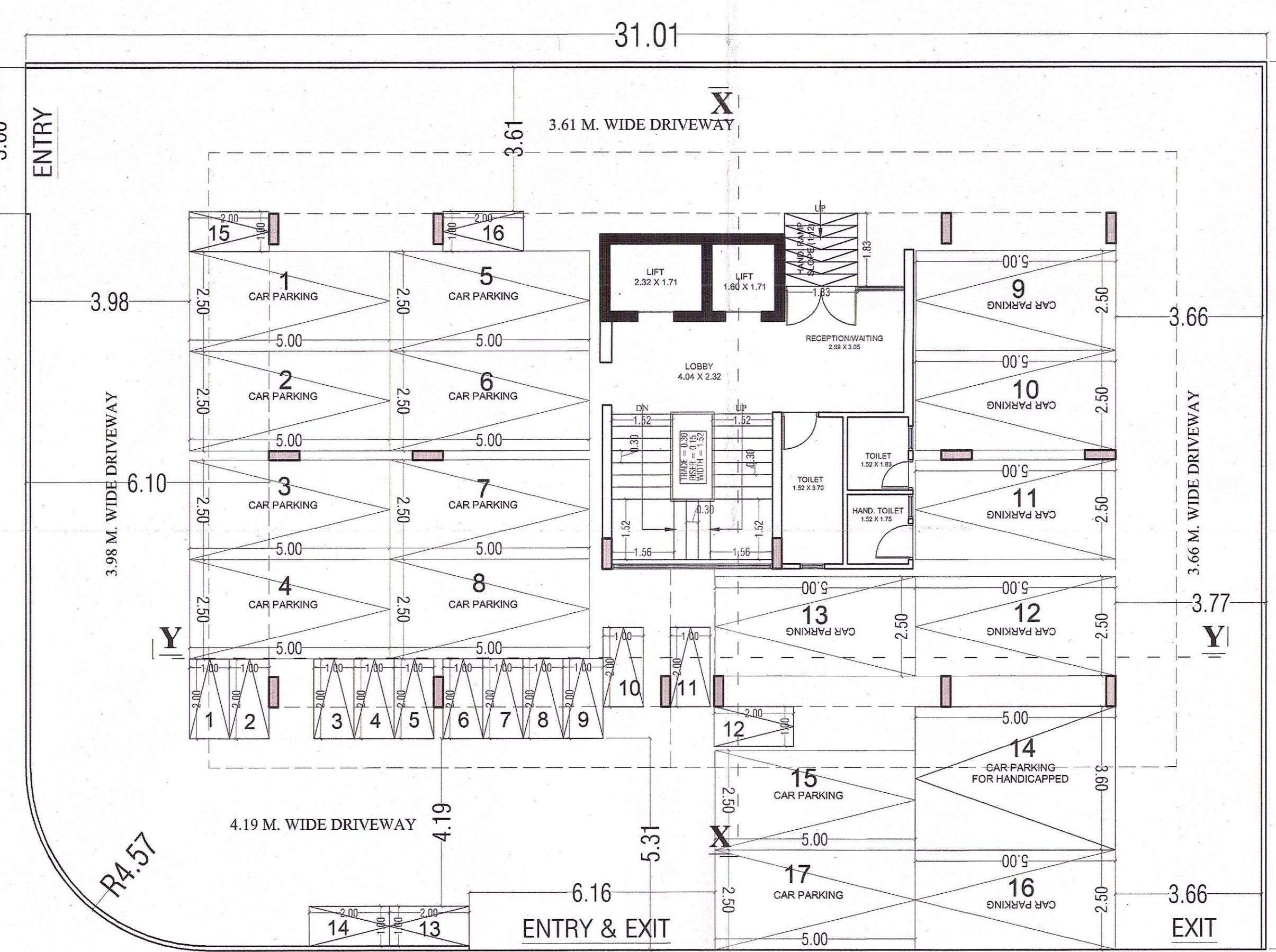
AZAD MARG



FIFTH FLOOR PLAN

GAUTAM MARG

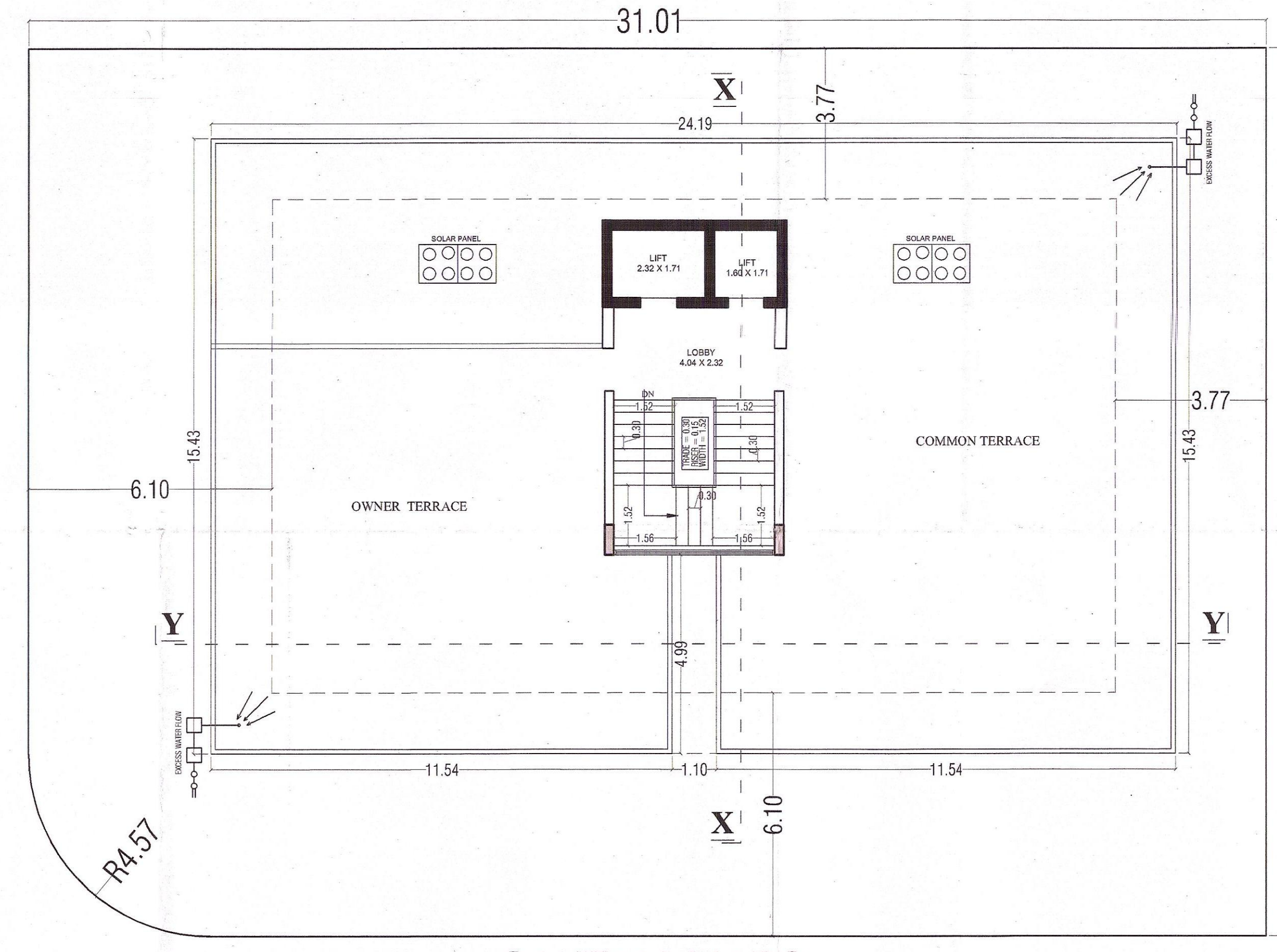
AZAD MARG



STILT FLOOR PLAN

GAUTAM MARG

AZAD MARG



TERRACE FLOOR PLAN

GAUTAM MARG

TOTAL PLOT AREA = 825.00 SQ. YDS / 688.80 SQ. MT.
CONSUMED BAR AREA = 2454.96 SQ. M. (3.55)
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK
PROPOSED GROUND COVERAGE = 261.92 SQ. MT.(37.97%)
PROPOSED HEIGHT = 18.00 MT.
REQUIRED PARKING AS PER NORMS = 2454.96/115 = 21.34 E.C.U.
75% PARKING FOR CARS = 21.34X0.75 = 16.00 E.C.U = SAY 16 CAR
BALANCE PARKING FOR SCOOTERS = 21.34 - 16 = 5.34X3 = 16.02
SAY 16 SCOOTER
PARKING PROVIDED =
= 17 CAR/ E.C.U. +16 SCOOTER/5.33 E.C.U.
= 17 + 5.33 = 22.33 ECU.

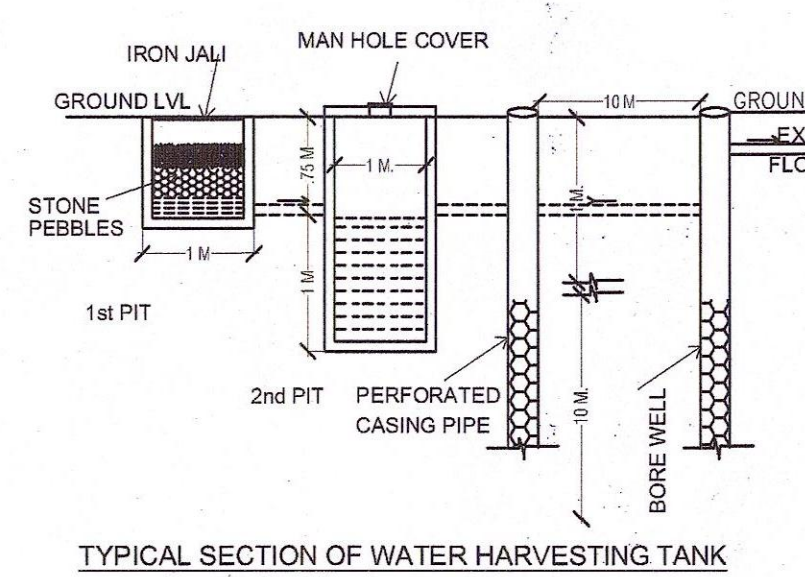
S. No.	FLOOR	G.B.U.A. SQMT	DEDUCTION SQMT	B.A.R. SQMT
1.	BASEMENT FLOOR PLAN	259.71	-----	259.71
2.	STILT FLOOR PLAN	261.92	233.67	28.05
3.	FIRST FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
4.	SECOND FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
5.	THIRD FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
6.	FOURTH FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
7.	FIFTH FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
8.	SIXTH FLOOR PLAN	367.93	6.73	361.20
9.	TERRACE FLOOR PLAN	38.18	38.18	-----
TOTAL		2767.39	312.43	2454.96

Ar. Ashok Mishra
C-15, Bhokhawali Estate, Lakshmi
City, C- Scheme, JAIPUR-302001
991113916
RAJ Architects/2021/10

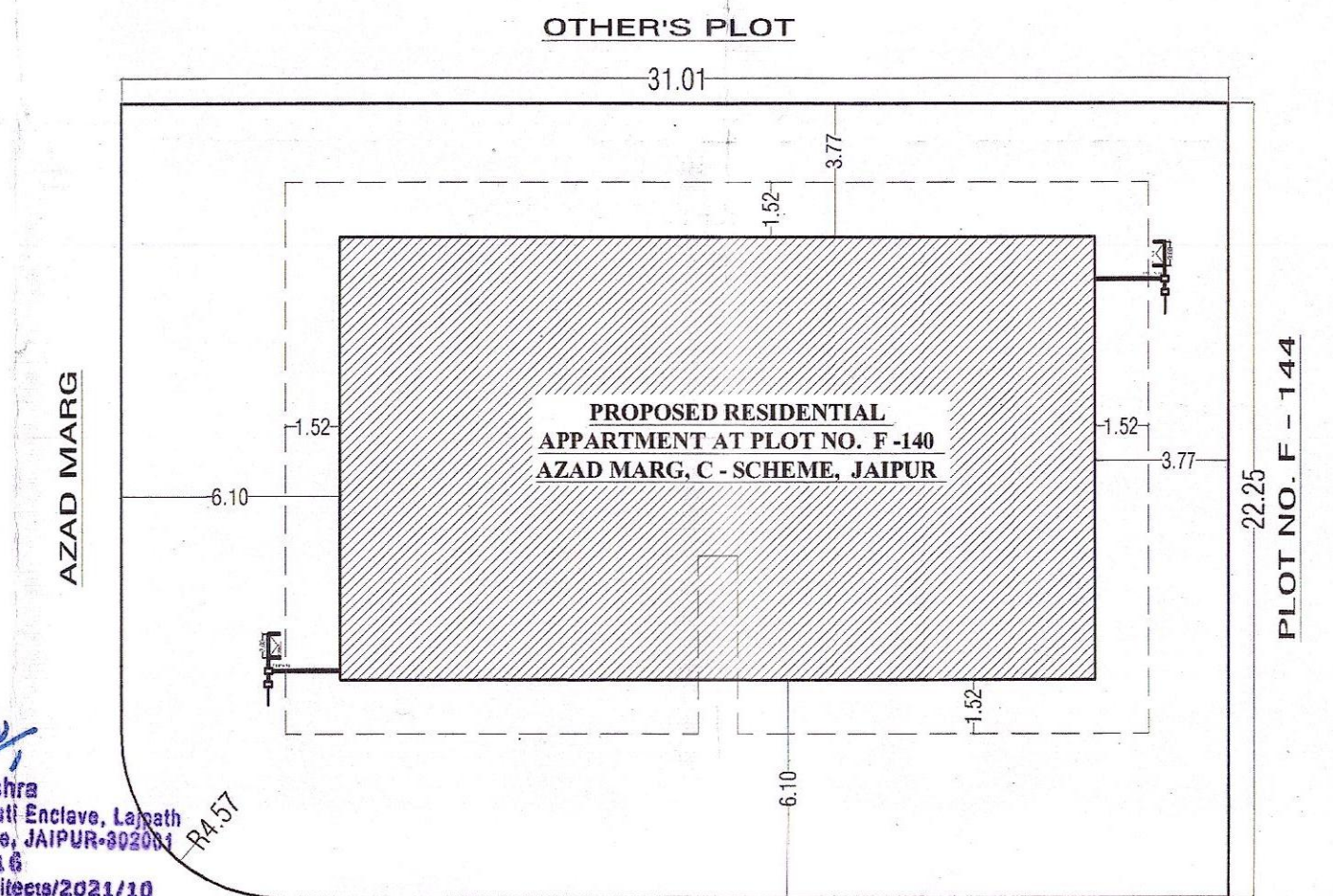
अनुमोदित

समस्त बहु निवास ईकाह/फ्लैट्स/गुप्त हाउसिंग इमारतों एवं व्यवसायिक/संस्थागत भवनों में आप लगत ही अंताम एवं साथ ही अभिरामन केन्द्र से संभावित स्थान की स्वतः ही पूर्व सूचना भेजने वाले अभिसूचक संकेतों को लगवाया जाना आवश्यक है।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रस्ताव भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और न ही इसके किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही प्रमाणित होंगे। अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का वास्तविक संरचनात्मक मानचित्रों के अनुरूप प्रामाण्य का होगा।
मौलत राजस्थान (नगरिय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में उचित निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माता के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



TYPICAL SECTION OF WATER HARVESTING TANK



SITE PLAN SCALE 1:200

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. F-140 AZAD MARG,
C - SCHEME, JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

OWNER

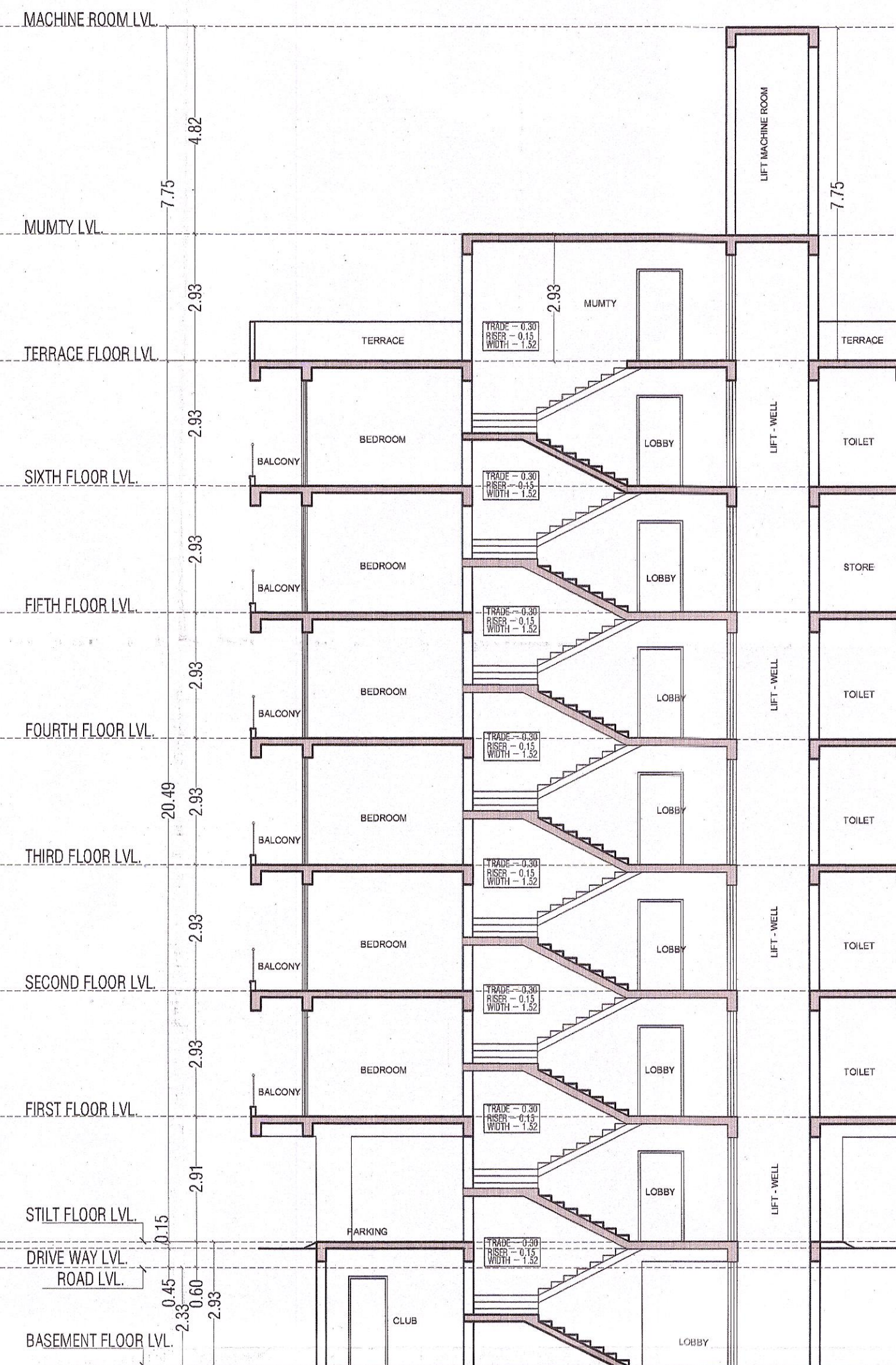
ARCHITECT
Ashok Mishra

ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

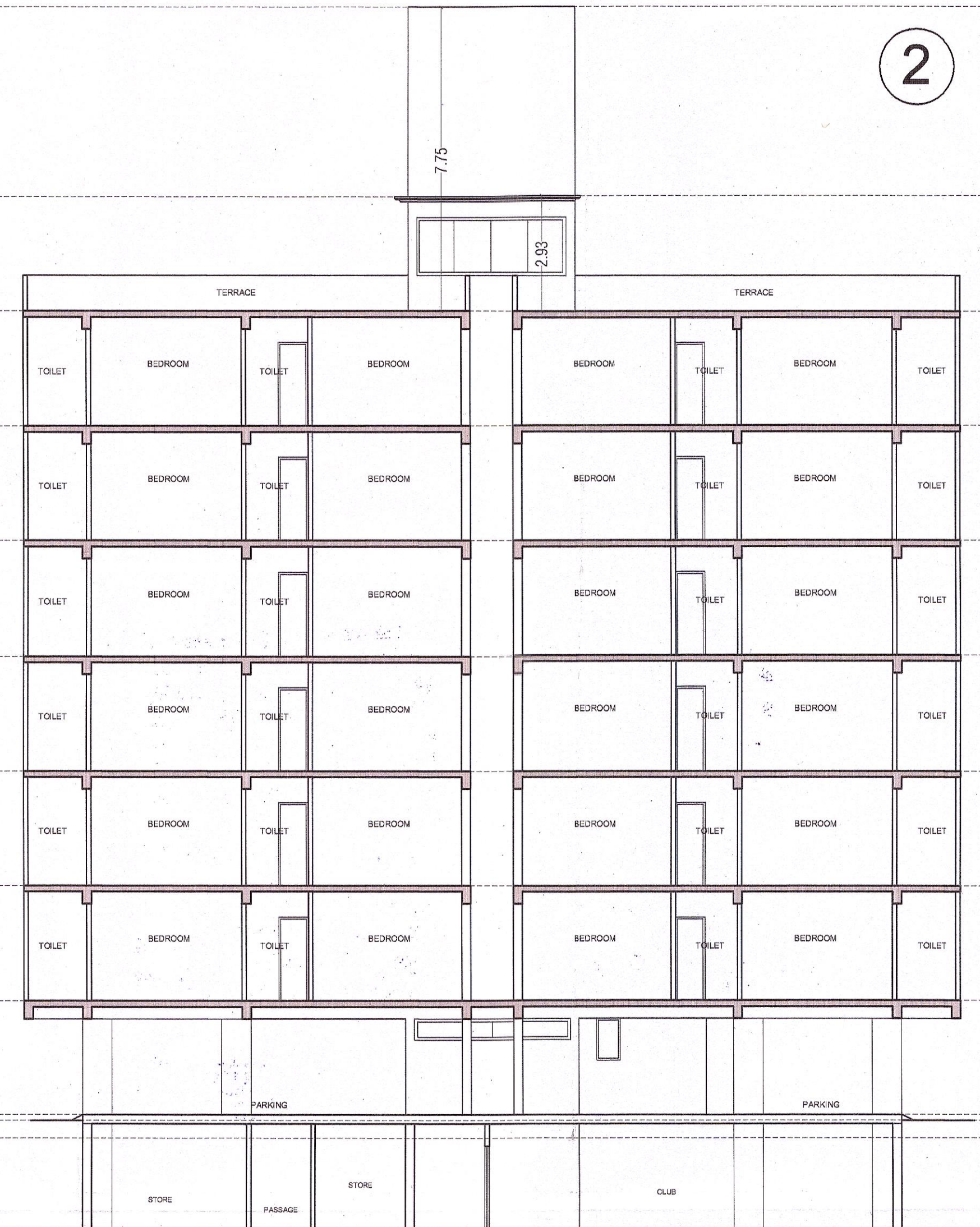


LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION



SECTION - XX



SECTION - YY

अनुमोदित

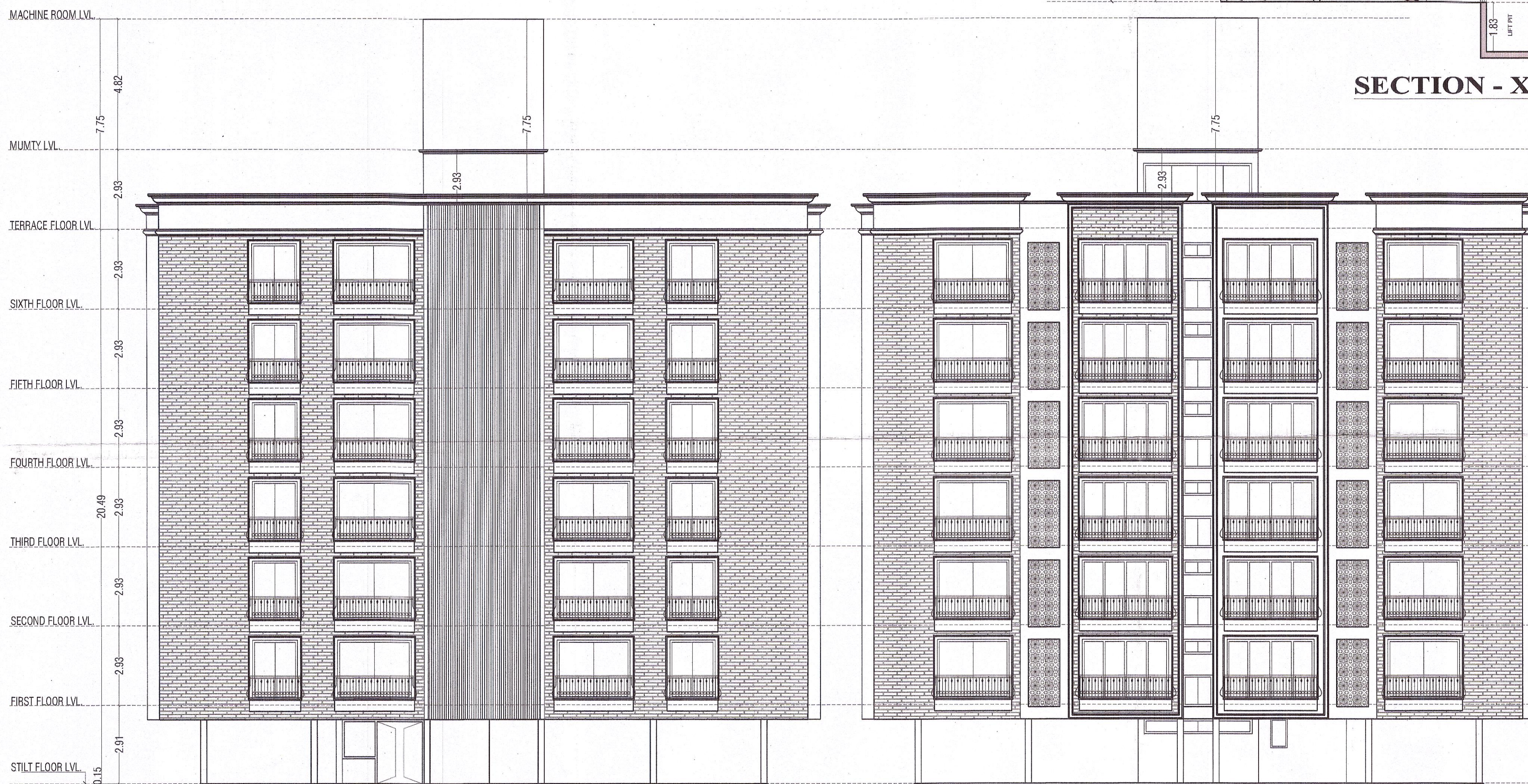
Ar. Ashok Mishra
C-95, Shekhawati Enclave, Lalpath
Marg, C-Scheme, JAIPUR-302001
CA/91/13916
CTP RAJ/Architect/2021/10

समस्त बहु निवास ईकाई/फ्लैट्स/गुप हाउसिंग
इमारतों एवं व्यवसायिक/संस्थागत भवनों में आग
लगत ही अतार्म एवं साथ ही अग्निशमन केन्द्र पर
संभावित स्थान की स्वतः ही पूर्व सूचना भेजने वाली
अग्निसूचक यंत्रों को लगवाया जाना आवश्यक है।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्ड
में मोके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र
की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ Prominently Display
की जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत भवन
मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार
पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह
में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रसन्न
भूमि/बूखण्ड के प्रति स्वास्थ का प्रमाण-पत्र
जहाँ माना जायेगा और न ही इससे किसी के
स्वामित्व संबंधित अधिकार ही प्रमाणित होंगे।
अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये
भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दस्तावेज
भवनवास्तविक मानचित्रों के अनुरूप प्रार्थी का है।

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020
के विनियम में वर्णित निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप
से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की
सुनिश्चितता की जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन
निर्माता के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।



FRONT ELEVATION

FRONT ELEVATION

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. F-140 AZAD MARG, C - SCHEME, JAIPUR	
SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100	NORTH:-
OWNER 	ARCHITECT
ASHOK MISHRA Ph. 2229771 B.Arch., M.C.A. C.A./91/13916 95, Shivaji Nagar, Civil Lines JAIPUR	



सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

Town Planning Department

Office of the Chief Town Planner, J.L.N Marg, Opp. Birla Mandir,
Jaipur (302004), Rajasthan.

Certificate of Registration

(Under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area)
Building Regulations, 2020)

Registration No.- CTP Raj. /Architect/ 2021/10

I hereby certify that Mr./M/s. ASHOK...MISHRA.....
is an Architect registered under Architect's Act, 1972 by the Council of
Architecture, New Delhi (CA/...91.../13916.) practicing and having
established office at.....C-35, SHEKHAWATI...ENCLAVE, LAJPAT.....
MARG, C-SCHEME, JAIPUR.....
..... (Address) has been registered under
Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
He/she is authorised to approve building plans for all land use/s having plot
area upto 2500 sq.mt. (height up to 18.0 mt. in Large Towns & up to 15.0 mt. in
Small and medium Towns) and to issue Completion Certificate & Occupancy
Certificate for buildings constructed after following due process adhering to
regulations of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
This Registration No. CTP Raj. /Architect/ 2021/10 is issued under my
signature on date 23/06/2021 and is valid up to 22/06/2022.



R. K. Vijayvargih
(R. K. Vijayvargih)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.